रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 149] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 1974/चैत्र 5, 1896
No. 149] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 1974/CHAITRA 5, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 26th March 1974

S.O. 212(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 620/18A/IDRA/69, dated the 14th February, 1969, read with the notifications of the Government of India in the late Ministry of Foreign Trade Nos. S.O. 616, dated the 13th February, 1970, S.O. 1101, dated the 18th March, 1970, S.O. 1364, dated the 9th April, 1970 and S.O. 1565, dated the 7th April, 1971, and the Ministry of Industrial Development No. S.O. 202(E), dated the 6th April, 1973, the management of industrial undertaking known as New Maneckchock Spinning and Weaving Company Limited, Ahmedabad, had been taken over by the Authorised Controller referred to in the Order first mentioned above for a period upto and inclusive of the 9th April, 1974;

And whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the Order first mentioned above should continue to have effect for a further period of one year, that is, upto and inclusive of the 9th April, 1975;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the Order first mentioned above shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 9th April, 1975.

[No. 28013/17/74-NTC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मन्त्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1974

का० आ० 212 (अ).—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व विदेश व्यापार मन्त्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 616, तारीख 13 फरवरी, 1970, का० आ० 1101, तारीख 18 मार्च, 1970, का०आ० 1364, तारीख 9 अप्रैल, 1970 और का०आ० 1565, तारीख 7 अप्रैल, 1971 और औद्योगिक विकास मन्त्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 202 (ई), तारीख 6 अप्रैल, 1973 के साथ पठित भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और कम्पनी कार्य मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 620/18ए/आई डी आर ए/69, तारीख 14 फरवरी, 1969 द्वारा, न्यू मानकचोक स्पीनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी लिमिटेड, अहमदाबाद नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्धतन्त्र ऊपर पश्चात् वर्णित आदेश में निर्दिष्ट प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा 9 अप्रैल, 1974, तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया था ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि ऊपर पश्चात् वर्णित आदेश 9 अप्रैल, 1975 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रहना चाहिए ;

अतः, अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि ऊपर पश्चात् वर्णित आदेश 9 अप्रैल, 1975 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

[सं० 280 13/17/74-एल० टी० सी०]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974